संख्या- 254 /2022/1007/41-2022/001-101-budget-2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 20 अप्रैल,2022**

विषयः- मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद देवरिया में राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर शहीद रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति शहीद स्थल विकास संग्रहालय योजना के क्रियान्वयन की परियोजना हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आहरण वितरण अधिकारी/उप निदेशक पर्यटन मुख्यालय के पत्र सं0-144/3-8-0(आ0वि0अनु0)/2022 दिनांक 08 अप्रैल 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत **मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद देवरिया में राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर शहीद रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति शहीद स्थल विकास संग्रहालय योजना के क्रियान्वयन की परियोजना हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष रू0-205.01 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं रू0 102.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-376/2021/आई/83666/41-1002(001)/10/2021-101(बजट)/2021 दिनांक 29.7.21 द्वारा निर्गत की गई थी। **तदनन्तर महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 के पत्रांक 8465/6-1-1/(48)/मु0मं0घो0/2021-22 दिनांक 28.3.22 द्वारा प्रयोजना हेतु अवमुक्त की गई धनराशि रू0-102.50 लाख के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि प्रेषित करते हुये अवशेष धनराशि लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में शासनादेश सं0- 216/2022/748/41-2022-101(बजट)/2021 दिनांक 31.03.2022 द्वारा प्रायोजना के द्वितीय किश्त के रूप में रू0-80.00 लाख (रू0 अस्सी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। परन्तु आहरण वितरण अधिकारी/उप निदेशक पर्यटनमुख्यालय के पत्र सं0-144/3-8-0(आ0वि0अनु0)/2022 दिनांक 08 अप्रैल 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृति आदेश के सापेक्ष कोषागार से वित्तीय वर्ष 2021-22 में आहरण नही हो सका है।**

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतद्द्वारा **शासनादेश सं0- 216/2022/784/41-2022-101(बजट)/2021 दिनांक 31.3.22** को निरस्त करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रयोजना के द्वितीय किश्त के रूप में रू0-80.00 लाख (रू0-अस्सी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते है कि निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रयोजना की वास्तविक लागत से अधिक का भुगतान न हो एवं प्रयोजना की अगली किश्त की मांग प्रस्तुत करते समय 24 बिन्दुओं की चेकलिस्ट/प्रायोजना की टेण्डर लागत/एवं उसके सापेक्ष मदवार व्यय विवरण अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त के अतिरिक्त प्रस्तर-3 पर प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति के क्रम में भुगतान से पूर्व निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु दोहरा आहरण न हो तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस संबंध में शासनादेश सं0376/2021/आई/83666/41-1002(001)/10/2021-101(बजट)/2021 दिनांक 29.7.21 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर 2021, में निहित शर्तों एवं प्रविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य /मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजना हेतु कदापि नही किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेगे।

(3) प्रयोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा (जी0एस0टी0) भुगतान के सम्बन्ध में ***तिथिवार विवरण एवं प्रामणिक प्रपत्र-जी0एस0टी0 इन्वारयस*** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतानि किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटारिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहारित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महानिदेशक, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (V II) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक** 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 15 / 2021/ बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसम्बर, 2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2021/ बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक- 29 मार्च, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या- 254 /2022/1007/41-2022/001-101-budget-2021 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन लखनऊ।
4- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक , यू0पी0पी0सी0एल लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0पी0सी0एल यूनिट-29 गोरखपुर।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर/आजमगढ़ मण्डल, गोरखपुर।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।